प्रेस नोट
03.03.2020

हरियाणा सरकार द्वारा "हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण" का गठन अधिनियम 33/2018 के द्वारा दिनांक 23/10/2018 को किया गया है जो राज्य में अधिसूचित वन क्षेत्रों के बाहर स्थित सभी तालाबों, 0.5 एक्ड़ से कम वाले और निजी भूमि पर स्थित तालाबों को छोड़कर, के विकास, संरक्षण कायाकल्प निर्माण एवं प्रबंधन, एवं पानी के उपयोग, इसके उपचार, और सिंचाई के उदेश्य के लिए सीवेज उपचार सयंत्रो से उपचारित पानी के प्रबंधन और उपयोग के क्षेत्र में कार्य करेगा।

अधिसूचना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन के प्रभारी मंत्री और विकास एवं पंचायत के प्रभारी मंत्री इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वित्त् विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग और पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, दीन बन्धू छोटू राम विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विश्व विद्यालय, मुरथल के कुलपति और राष्ट्रीय प्राधिोगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के निदेशक इसके प्रदेन सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त 3 सदस्य वैतनिक हैं, जिनके पदनाम है:-

1) कार्यकारी उपाध्यक्ष
2) तकनीकी सलाहकार
3) सदस्य सचिव

श्री प्रभाकर कुमार वर्मा दिनांक 26/06/2019 कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद पर व श्री सुजाना राम दिनांक 05/09/2018 से सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं जबकि तकनीकी सलाहकार का पद वर्तमान में रिक्त है। इसके अलावा इस प्राधिकरण के दो गैर सरकारी सदस्य भी हैं। सरकार द्वारा श्री तेजिन्द्र सिंह एवं श्री अनिल कुमार भाटिया को क्रमशः दिनांक 10/06/2019एवं 13/02/2020 से गैर सरकारी सदस्य के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

इस प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी तालाबों को युनीक आई डी चिह्नित कर दी गई है। जिसमे 15891 तालाब ग्रामीण और 604 तालाब शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश अनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देश अनुसार सभी तालाबो की कार्य योजना, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से राष्ट्रीय हरित अधिकरण को 09. 08.2019को सौंप दी गई है।

प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम समस्या ग्रस्त तालाबों व सूखे पडे तालाबों को विकसित करने का लक्ष्य रख गया है। हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार तालाबों को नहरो से जोडने का कार्य सिंचाई विभाग व अन्य आन्तरिक निर्माण कार्य पंचायत विभाग, व स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से इस प्राधिकरण की देख रेख में करवाया जा रहा है।

तालाब प्राधिकरण ने वर्ष 2019-20 में 18 प्रदूषित तालाबों का प्रथम प्राथमिकता के आधार पर सरंक्षण करने का काम किया है तथा वर्ष 2020-21 में 249 तालाबों का सरंक्षण करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 120 महाग्राम व् 66 धार्मिक / ऐतिहासिक महत्व, GT रोड से लगे 14 तालाब तथा 25 एकड़ से ऊपर के 49 तालाब शामिल हैं|

आज दिनांक03.03.2020 कोविधान सभा में, प्राधिकरण के अधिनियम में एक संशोधन बिल भी पारित किया गया जिसमें मुख्य तौरपरसदस्य सचिव एवं तकनीकी सलाहकार की योग्यताओ में संशोधन किया गया है|इसकेअनुसार किसी भी राज्य / केंद्र सरकार केउपक्रम या / केअधीनस्थ कार्य कर रही संस्थाओं में कार्यरत या सेवानिवृत अधिकारी को तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है| इससे पूर्व इस पद के लिए चयन की योग्यता में सीमित प्रावधान थे जिसके अनुसार राज्य /केंद्र सरकार के सिंचाई विभाग या जन स्वास्थ्य व् अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता या उसके समकक्ष को ही नियुक्त किया जा सकता था |

इसी प्रकार से सदस्य सचिव के पद के लिए राज्य / केंद्र सरकार के किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में मुख्य अभियंता या उसके समकक्ष पद पर आसीन या सेवानिवृत अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है|

इन संशोधनों के उपरान्त सदस्य सचिव एवं तकनीकी सलाहकार के पद के लिए विकल्पों की उपलब्धता और भी अधिक हो सकेगी |

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की सलाह समिति में विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ाने हेतु गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी अब 2 से बढाकर 3 कर दी गई है|

सरकार ने तालाबों को सरंक्षित एवं जल क्षमता बढ़ाने के कार्य को प्राथमिकता पर रखा है, अब ये समस्त कार्य हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की देख रेख में होंगे, जिसके लिए वर्ष 2020-21 में ₹ 1000 /- करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव है |

****